न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठसीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
78/11	दावा	12.10.11	27.04.16

ईन्दरबाई पत्नि रामलाल जाति मीना निवासी नीमोदा तहसील सपोटरा जिला करौली(राज)

–वादीया

बनाम

1. बद्री पुत्र भौरया जाति मीना निवासी नीमोदा तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)
2. सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 सपोटरा।
3. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 गुलाब बाग करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हस्व दफा 188 व 92(ए) राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील वादीया।
श्री श्यामप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0 173, 175, 176, 177 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम नीमोदा तहसील सपोटरा जिला करौली वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। जिसे वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है। खसरा नं0 173 मे नवीन चाह है। जिसमे विधुत मोटर लगी हुई है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा कृषि कनेक्शन प्रतिवादी नं0 1 के नाम से दिया हुआ है। जिसका खाता सं0 23030132 है। उक्त आराजीयात के अलावा प्रतिवादी बद्री के लड़के पतिराम व मुकेश से खसरा नं0 173 मे लगा हुआ खसरा नं0 174 व 178 मे पतराम व मुकेश का सम्पूर्ण हिस्सा भी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीदा है। ये जमीने पैरा नं0 मे दर्ज आराजीयात व इन आराजीयात को मय कुआ व विधुत कनेक्शन व मोटर को खरीदा है। योम खरीद से वादी विवादित आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा कुए का मोटर व कनेक्शन का योम खरीद से उपयोग उपभोग कर हूँ। विधुत बिलो का भी मै वादीया भुगतान कर रही हूँ। प्रतिवादीगण आपस मे साज किये हुए है और इस विधुत कनैक्शन को बाला बाला ही मेरे खरीद सुदा कुए से हटाकर अन्यत्र ले जाना चाहते है। जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है। वादीया गरीब जात औरत है। मेहनत मजदूरी करके इकट्ठे हुए पैसे से कुआ व कनेक्शन व जमीन खरीदा है। प्रतिवादी सं0 1 का कुआ जमीन व विधुत मोटर से कोई सम्बन्ध नही है। गैर कानूनी तरीके से विधुत कनेक्शन को मेरे कुए से हटाना चाहते है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीया दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिय सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 3 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 2 ने जरिय वकील अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि विधुत बिल कनेक्शन खाता प्रतिवादी सं0 1 के नाम हैं इसी वजह से स्थान परिवर्तन की पत्रावली प्रतिवादी नं0 1 ने प्रति0 नं0 2 के कार्यालय मे जमा करवायी है, जो लम्बित है। वादीया व प्रतिवादी नं0 1 का विवाद है। जिसमे प्रतिवादी नं0 2 व 3 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। प्रकरण दीवानी प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील ने उपस्थित आकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा वादीया को विक्रय की गई विवादित आराजी मे मैने अपना कृषि विधुत कनेक्शन को नही बेचा है, स्वयं के उपयोग उपभोग के लिए ...

किया है। उक्त विधुत कृषि कनेक्शन के विधुत बिल को मै नियमित रूप से जमा कराता रहा हूँ। वादीया के मन मे वदनियति आने से मेरे कृषि विधुत कनेक्शन को जबरन हड़पना चाहती है। अतः वाद पत्र वादीया खारिज होने योग्य है। अतः दावा वादीया खारिज फरमाया जावे। वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता छः तनकीयात कायम की गई। वकील वादीया ने साक्ष्य मे वादीया इन्दरबाई एवं गवाह मीठालाल कें शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल विक्रय पत्र प्रदर्श 1, विक्रय पत्र प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सं0 2062-65 प्रदर्श 3, सं0 2066-69 प्रदर्श 4, खसरा गिरदावरी सं0 2058-2061 प्रदर्श 5, बिजली का बिल प्रदर्श 6 तथा जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 की रसीद प्रदर्श 7 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है।

1. आया वाद पत्र के मद सं0 1 मे अंकित आराजी वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है? इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2062-65 एवं सं0 2066-69 प्रदर्श 3 व 4 वादीया विवादित आराजीयात की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए यह तनकी वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. आया वादीया प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि के कब्जे काश्त एवं विधुत कृषि कनेक्शन के उपयोग उपभोग मे दखलदांजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीया पर है। जैसा कि तनकी नं0 1 से स्पष्ट है, वादीया विवादित आराजीयात की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिए वादीया प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने की अधिकारी है। इसलिए यह तनकी भी वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. आया वादीया प्रतिवादी सं0 2 व 3 को उक्त मे स्थित विधुत कनेक्शन को अन्यत्र स्थानान्तरित न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीया पर है। वादीया द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 3 व 4 से वादीया का खातेदार काश्तकार होना स्पष्ट है एवं असल पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श 1 व 2 मे यह बात स्पष्ट अंकित है कि वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 से कृषि भूमि के साथ-साथ कृषि विधुत कनेक्शन मय चाह का हिस्सा 1/2 एवं हिस्सा 1/4 क्रय किया है। इसलिए वादीया को इनका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उक्त कृषि विधुत कनेक्शन को प्रतिवादी सं0 1 स्थानान्तरण नही करवा सकते है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष मे ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है ना ही अपनी मौखिक साक्ष्य करवाई है। इसलिए वादीया प्रतिवादी सं0 2 व 3 को भी कृषि विधुत कनेक्शन को अन्यत्र स्थानान्तरित नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. आया विधुत कनेक्शन से वादीया का कोई लेना देना नही है, वादीया कृषि कनेक्शन के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध मे पाबंद कराने की अधिकारी नही है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर है। जैसा कि तनकी नं0 3 से स्पष्ट है वादीया ने कृषि भूमि के साथ साथ कृषि विधुत कनेक्शन भी हिस्से अनुसार क्रय किया है जिसे अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग मे लेने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी सं0 1 का यह कथन कि वादीया का विधुत कनेक्शन से कोई लेना देना नही है, गलत है। इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 तय की जाती है।
5. आया विधुत कृषि कनेक्शन खाता प्रतिवादी नं0 1 के नाम है तथा अन्यत्र ट्रान्सफर की पत्रावली कार्यालय मे लंबित है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 2 व 3 पर है। प्रति0 सं0 2 व 3 का यह कथन सत्य है कि विधुत कनेक्शन प्रतिवादी सं0 1 के नाम है किन्तु वादीया ने उक्त विधुत कनेक्शन को प्रतिवादी सं0 से क्रय की गई कृषि भूमि के साथ क्रय किया है जो रजिस्टर्ड वयनामा मे स्पष्ट अंकित है। वादीया ने विधुत कनेक्शन को अपने नाम ट्रान्सफर करवाने हेतु प्रतिवादी सं0 2 व 3 के कार्यालय मे प्रार्थना पत्र भी पेश

उप जिला कलक्टर
मण्डरायल, जिला-करौली

किया है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली मे शामिल है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विरूद्व आंशिक रूप से तय की जाती है।

6. अनुतोषः- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीया प्रतिवादीगण को को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात एवं उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह साबित है कि वादीया प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने की अधिकारी है। इसलिए दावा वादीया डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीया डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नीमोदा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 173, 175, 176, 177 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा में वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त तथा उनमे स्थित कुआ व विधुत कृषि कनेक्शन के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट नही डाले एव ंना ही किसी अन्य से डलावे। कृषि विधुत कनेक्शन को अन्यत्र ट्रान्सफर नही करावे ना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 27.04.2016 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

6/1/16	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार वास्ते साक्ष्य प्रति० दिनांक 10/2/16 को पेश हो।
10/2/16	वकील फरीकैन उप० 320 ना० श्री रा चौधरी ने अवकाश है पूर्वानुसार दि० 24/2/16 को पेश हो।
24/2/16	वकील फरीकैन उप० वकील प्रति० साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनकी साक्ष्य प्रति० बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/3/16 को पेश हो।
16/3/16	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 30/3/16 को पेश हो।
30/3/16	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/4/16 को पेश हो।
13/4/16	वकीलों के कन्डोलेंस के कारण पूर्वानुसार वास्ते निर्णय दिनांक 27/4/16 को पेश हो।
27/4/16	वकील फरीकैन उप० वकील वादीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 CPC मय फर्द दस्तावेज पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। प्रा० पत्र पर सुनवाई एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान की बहस अवलोकन एवं मनन किया गया। दावा वादीया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कटे एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।